

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-4(1)(ख)
के अन्तर्गत अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ से सम्बन्धित 17 बिन्दुओं की सूचना।

बिन्दु संख्या-1 अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० लखनऊ की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य:-

अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० लखनऊ पुलिस विभाग की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसका मुख्य दायित्व निष्पक्ष एवं पारदर्शी जाँच/विवेचना किया जाना है। अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० लखनऊ मुख्यालय विकल्प खण्ड-2 गोमती नगर लखनऊ में स्थित है। इसका ई-मेल cbcid@nic.in एवं फ़ैक्स नम्बर 0522-2729011, नियंत्रण कक्ष का मोबाईल नम्बर 9454401662 है। अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० लखनऊ के अन्तर्गत 09 खण्ड कार्यालय है, जो निम्न प्रकार है:-

- 1- मेरठ
- 2- बरेली
- 3- लखनऊ
- 4- गोरखपुर
- 5- प्रयागराज
- 6- वाराणसी
- 7- आगरा
- 8- कानपुर
- 9- सीआईएस लखनऊ

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० लखनऊ को सामान्यतया गम्भीर अपराधिक मामलों की जाँच/विवेचना एवं विवेचनाओं का चेकअप अभिदिष्ट किया जाता है। उ०प्र० शासन से प्राप्त सभी जाँच/विवेचनाओं को मुख्यालय द्वारा सी०बी० संख्या आवंटित कर जाँच/विवेचना हेतु खण्ड कार्यालयों को भेजा जाता है, एवं इसकी सूचना शासन को प्रेषित की जाती है। इसके अतिरिक्त एन०एच०आर०सी० व मा० न्यायालय द्वारा भी अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० से विवेचना/जाँच कराये जाने की अपेक्षा पर उ०प्र० शासन द्वारा जाँच विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० को अभिदिष्ट की जाती है।

बिन्दु संख्या-2 विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य:- अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 के विभागाध्यक्ष पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी है तथा विभागाध्यक्ष के अधीनस्थ क्रमवार निम्नवत् अधिकारीगण नियुक्त हैं:-

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक
- 2- पुलिस महानिरीक्षक
- 3- पुलिस उपमहानिरीक्षक
- 4- पुलिस अधीक्षक
- 5- अपर पुलिस अधीक्षक
- 6- पुलिस उपाधीक्षक

इस सम्बन्ध में प्रशासनिक संगठन का चार्ट 'A' पर उपलब्ध है।

(1) **पुलिस महानिदेशक-** अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के विभागाध्यक्ष पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी है। अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 में नियुक्त अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं इस विभाग के अर्न्तगत आने वाले विभिन्न खण्डों में नियुक्त खण्डाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक/ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी/अभियोजन अधिकारी एवं मुख्यालय खण्ड में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों के पर्यवेक्षण का कार्य किया जाता है। अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 द्वारा सम्पादित की जा रही जाँच एवं विवेचनाओं के पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 के अनुमोदन के उपरान्त अन्तिम प्रगति आख्या उ0प्र0 शासन को प्रेषित की जाती है। इसके अतिरिक्त अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ पर स्थित अधिष्ठान शाखा/क्यू शाखा/ गोपन शाखा/लाईब्रेरी/नियंत्रण कक्ष/खेलकूद एवं कल्याण/ओ0सी0आई0एस0/वन्य जीव प्रकोष्ठ सम्पादित किये जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण भी किया जाता है।

(2) **अपर पुलिस महानिदेशक-** अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 लखनऊ में नियुक्त पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक एवं सम्बन्धित खण्ड/मुख्यालय में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाता है। इस विभाग में नियुक्त अराजपत्रित अधिकारी/कर्मचारियों को दिये गये दण्ड के उपरान्त अपील अस्वीकार हो जाने के उपरान्त रिवीजन का निस्तारण अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है। अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 लखनऊ में स्थित अधिष्ठान शाखा/कोष शाखा/ओसीआईएस/पुस्तकालय/कूटरचित सेल/खेलकूद कल्याण/साईबर सेल/माडर्नाइजेशन/ वन्य जीव प्रकोष्ठ/आई0जी0आर0एस0 व विधिक शाखा द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों के पर्यवेक्षण का कार्य किया जाता है।

(3) **पुलिस महानिरीक्षक**— पुलिस महानिरीक्षक द्वारा अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० लखनऊ में नियुक्त पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक एवं सम्बन्धित खण्ड/मुख्यालय में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० लखनऊ लखनऊ पर स्थित कम्प्यूअराइजेशन, विभागीय वेबसाइट अद्यावधिकरण, नियंत्रण कक्ष, गोपन शाखा, व क्यू शाखा, द्वारा किये जा रहे कार्यों के पर्यवेक्षण का कार्य किया जाता है। इस विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी भी पुलिस महानिरीक्षक अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० लखनऊ है।

(4) **पुलिस उप महानिरीक्षक**— पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० में नियुक्त पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक एवं सम्बन्धित खण्ड/मुख्यालय में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाता है। इस विभाग में नियुक्त अराजपत्रित अधिकारी/कर्मचारियों दिये गये दण्ड के उपरान्त अपील का निस्तारण पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है।

(5) **पुलिस अधीक्षक**— पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० में एवं खण्डों में नियुक्त अराजपत्रित अधिकारी के कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाता है। खण्ड कार्यालय द्वारा सम्पादित की जा रही जाँच/विवेचनाओं के पर्यवेक्षण का कार्य किया जाता है। सम्बन्धित खण्डों द्वारा सम्पादित की जा रही जाँच/विवेचनाओं में अन्तिम प्रगति आख्या सम्बन्धित अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक के माध्यम से पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० विभाग को अनुमोदन हेतु भेजी जाती है। अनुमोदन के उपरान्त उक्त अन्तिम प्रगति आख्या उ०प्र० शासन को प्रेषित की जाती है। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा अधिष्ठान शाखा/पुस्तकालय/नियंत्रण कक्ष/कोष शाखा/ओसीआईएस/पुस्तकालय/गोपन शाखा/कूटरचित सेल/खेलकूद कल्याण/साईबर सेल/माडर्नाइजेशन/वन्य जीव प्रकोष्ठ/आई०जी०आर०एस० व विधिक शाखा द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों के पर्यवेक्षण का कार्य किया जाता है।

(6) **पुलिस उपाधीक्षक**—अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० में पुलिस उपाधीक्षक द्वारा एस०सी०/एस०टी० एक्ट तथा दहेज मृत्यु से सम्बन्धित अपराधों की जाँच/विवेचनाओं एवं अति महत्वपूर्ण जाँच/विवेचनाओं का सम्पादित किया जाता है। इस विभाग में नियुक्त अराजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध प्रचलित प्रारम्भिक जाँच का कार्य भी सम्पादित किया जाता है।

बिन्दु संख्या-3 विनिश्चित करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित:-

1- अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० द्वारा सम्पादित किये जाने कार्यों को सुचारु रूप से संचालन हेतु सी०आई०डी० मैनुअल उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त विभाग के कार्यों के सम्पादन

हेतु समय-समय पर यथावश्यक स्थायी आदेश निर्गत किये गये हैं। उ०प्र० शासन तथा मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ०प्र० पुलिस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों का पालन किया जाता है। द०प्र०सं० के प्रावधानों के अनुरूप विवेचना सम्पादित की जाती है।

2- अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० में प्रशासनिक नियंत्रण/संचालन एवं कर्मियों में अनुशासन बनाये रखने हेतु उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की(दण्ड एवं अपील) नियमावली के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

3- अपराध अनुसंधान विभाग, मुख्यालय एवं अन्य खण्डों में नियुक्त स्थानान्तरण एवं प्रोन्नति आदि का कार्य संगत नियमावली/संगत शासनादेशों/संगत विभागीय आदेशानुसार सम्पादित किये जाते हैं।

4- अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० द्वारा विवेचना का कार्य निरीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक,/अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। खण्डों में विवेचकों का पर्यवेक्षण खण्डाधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाता है तथा अपर पुलिस का पर्यवेक्षण अपराध अनुसंधान विभाग, मुख्यालय पर नियुक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के द्वारा किया जाता है।

बिन्दु संख्या-4 कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदण्ड:- अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० लखनऊ उ०प्र० शासन के गृह विभाग के अधीन है। इस विभाग मुख्यतः जाँच एवं विवेचना प्राप्त होने का स्रोत उ०प्र० शासन है। मा० उच्च न्यायालय तथा मा० राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, को प्रकरण अभिदिष्ट किये जाने पर उ०प्र० शासन द्वारा जाँच/विवेचना का आदेश निर्गत किया जाता है। अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० द्वारा स्वतः कोई जाँच विवेचना ग्रहण नहीं की जाती है। विवेचना की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए अधिकारियों द्वारा नियमित पर्यवेक्षण व विवेचना का मार्गदर्शन किया जाता है। अन्तिम प्रगति आख्या पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० द्वारा अनुमोदन के उपरान्त शासन को प्रेषित की जाती है।

बिन्दु संख्या-5 विभाग के कर्मचारियों द्वारा निर्वहन किये जाने वाले दायित्व हेतु निर्धारित मानदण्ड:-

1-निरीक्षक-अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० लखनऊ में नियुक्त निरीक्षकों द्वारा जाँच/विवेचना का कार्य सम्पादित किया जाता है। सभी निरीक्षकों को शासन द्वारा की गयी समयवधि में पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। प्रत्येक निरीक्षक को वर्ष में कम से कम 04 जाँच/विवेचनाएं पूर्ण करने का मानके निर्धारित है।

2-उप निरीक्षक- अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 में नियुक्त उप निरीक्षक का मुख्य कार्य जाँच/विवेचना में विवेचको का सहयोग किया जाना है। मुख्यालय पर अन्य प्रशासनिक कार्यों में सहयोग प्रदान किया जाता है।

3-मुख्य आरक्षी- :- अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 में नियुक्त आरक्षीगण द्वारा खण्डों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न न्यायालयों में लम्बित अभियोगों में प्रभावी पैरवी का कार्य सम्पादित किया जाता है तथा विवेचना में सहयोग प्रदान किया जाता है। मुख्यालय/खण्डों में नियुक्त मुख्य आरक्षीगण द्वारा उच्चाधिकारीगण द्वारा सौंपे गये कार्यों/आदेशों का अनुपालन किया जाता है।

4-आरक्षी- अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 लखनऊ में नियुक्त आरक्षीगण द्वारा खण्डों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न न्यायालयों में लम्बित अभियोगों में प्रभावी पैरवी का कार्य सम्पादित किया जाता है तथा विवेचना में सहयोग प्रदान किया जाता है। मुख्यालय/खण्डों में नियुक्त मुख्य आरक्षीगण द्वारा उच्चाधिकारीगण द्वारा सौंपे गये कार्यों/आदेशों का अनुपालन किया जाता है।

5- चतुर्थ श्रेणी- अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 लखनऊ में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाता है।

बिन्दु संख्या-6 ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण-

1- अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 का स्वयं का मैनुअल है जिसके आधार पर अपराध अनुसंधान विभाग, में कार्यवाही की जाती है।

2-एन0जी0ओ0 पत्रावलियाँ(परम गोपनीय दस्तावेज)

3-अन्तिम प्रगति आख्या (गोपनीय दस्तावेज)

4-अन्य विभागीय निर्देश/आदेश यथा-प्रशिक्षण सम्बन्धी, प्रोन्नति, विभागीय कार्यवाही इत्यादि।?

बिन्दु संख्या-7 व 8- अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन कार्य करता है।

बिन्दु संख्या-9 व 10-अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका एवं प्राप्त मासिक पारिश्रमिक से सम्बन्धित विवरण- आपेक्षित विवरण बी0 एवं सी0 संलग्न है।

बिन्दु संख्या 11 सभी योजनाओ प्रस्तावित व्ययकों किये गये संविवरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए आयोग के प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट- बजट व्यय से सम्बन्धित विवरण वेबसाइट www.koshvani.up.nic.in के उपशीर्षक-026-गृह पुलिस के अर्न्तगत उपलब्ध है।

बिन्दु संख्या-12, सहायकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहकों के ब्यौरे सम्मिलित है।

इस विभाग द्वारा इस प्रकार का कोई कार्यक्रम संचालित नहीं किया जाता है।

बिन्दु संख्या-13 विभाग द्वारा अनुउत्तर रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ता की विशिष्टियाँ।

इस विभाग पर लागू नहीं है।

बिन्दु संख्या-14 किसी इलेक्ट्रानिक रूप से सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हो।

इस विभाग पर लागू नहीं है।

बिन्दु संख्या-15 सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं, तो कार्यक्रम घन्टे सम्मिलित है।

अपराध अनुसंधान विभाग, मुख्यालय स्तर पर आम नागरिकों के उपयोग के लिए पुस्तकालय अथवा वाचन कक्ष की व्यवस्था नहीं है।

बिन्दु संख्या 16- इस विभाग के सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ।

जनसूचना अधिकारी	नाम	पदनाम	दूरभाष	
			सी0यू0जी0	ई-मेल
अपीलीय अधिकारी	डा0 अखिलेश कुमार निगम	पुलिस महानिरीक्षक	8299150445	cbcid@nic.in
जन सूचना अधिकारी	श्री बंशराज सिंह यादव	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401142	cbcid@nic.in

बिन्दु संख्या 17- ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाये।

शून्य

संलग्नक-बी

अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० में नियुक्त राजपत्रित अधिकारीगण की सूची

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम / नियुक्ति स्थान	सी०यू०जी०
1	श्री विनोद कुमार	पुलिस महानिदेशक, अप०अनु०विभाग, मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ	9454400106
2	श्री आशुतोष कुमार	अपर पुलिस महानिदेशक अप०अनु०विभाग, उ०प्र० लखनऊ	9454400180
3	डा० अखिलेश कुमार निगम	पुलिस महानिरीक्षक, अप०अनु०विभाग, उ०प्र० लखनऊ	8299150445
4	श्री अशोक कुमार चतुर्थ	पुलिस उपमहानिरीक्षक, अप०अनु०विभाग, उ०प्र० लखनऊ	9454400220
5	श्री दयाराम	पुलिस अधीक्षक, अप०अनु०विभाग, उ०प्र० लखनऊ	9454400417
6	श्री गिरजेश कुमार	पुलिस अधीक्षक, अप०अनु०विभाग, मुख्यालय लखनऊ	9454400319
7	श्री समीर सौरभ	पुलिस अधीक्षक, अप०अनु०विभाग, खण्ड-प्रयागराज	9454401883
8	श्री अजय कुमार सिंह	अपर पुलिस अधीक्षक, अप०अनु०विभाग, खण्ड-लखनऊ	9454401134
9	श्री जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	अपर पुलिस अधीक्षक, अप०अनु०विभाग, सम्बद्ध यू०पी०सी०आई०एस०एफ०	8924988030
10.	श्री बंशराज सिंह यादव	अपर पुलिस अधीक्षक, अप०अनु०विभाग, खण्ड-सी०आई०एस०	9454401142
11.	श्री उमेश कुमार यादव	अपर पुलिस अधीक्षक, अप०अनु०विभाग, खण्ड-बरेली	9454401136
12.	श्रीमती वन्दना मिश्रा	अपर पुलिस अधीक्षक, अप०अनु०विभाग, खण्ड-आगरा	9454401133
13.	श्री मुकेश प्रताप सिंह	अपर पुलिस अधीक्षक, अप०अनु०विभाग, खण्ड-कानपुर	9454826942
14	श्रीमती अलका	अपर पुलिस अधीक्षक, अप०अनु०विभाग, खण्ड-मेरठ	9454401139
15	श्री प्रभात कुमार द्वितीय	अपर पुलिस अधीक्षक अप०अनु०विभाग, खण्ड-गोरखपुर	8795198344
16	श्रीमती मोनिका यादव	पुलिस उपाधीक्षक, अप०अनु०विभाग, खण्ड-लखनऊ	8853097111
17	श्री अंकित कुमार द्वितीय	पुलिस उपाधीक्षक, अप०अनु०विभाग, खण्ड-लखनऊ	6397324091
18	श्री राशिद अली खान	पुलिस उपाधीक्षक, अप०अनु०विभाग, खण्ड-आगरा	9911338822
19	श्री एहतेशामुद्दीन सिद्दकी	पुलिस उपाधीक्षक, अप०अनु०विभाग, खण्ड प्रयागराज	9454401661
20	श्री बाबर रजा जैदी	पुलिस उपाधीक्षक, अप०अनु०विभाग, खण्ड-बरेली	9871882997
21	श्री मनोज कुमार शर्मा	पुलिस उपाधीक्षक, अप०अनु०विभाग, खण्ड-लखनऊ सम्बद्ध मेरठ	9837166242
22	श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह	पुलिस उपाधीक्षक अप०अनु०विभाग, खण्ड-लखनऊ	7897741455
23	मो० रिजवान	पुलिस उपाधीक्षक अप०अनु०विभाग, मुख्यालय लखनऊ	9454401670
23	श्री उमाशंकर यादव	पुलिस उपाधीक्षक अप०अनु०विभाग, खण्ड-गोरखपुर	7753065335
24	श्री शिवकुमार पाल	पुलिस उपाधीक्षक, गोपनीय, अप०अनु०विभाग, मुख्यालय लखनऊ	9454401969
25	श्रीमती सुषमा आनन्द	संयुक्त निदेशक अभियोजन अधिकारी अप०अनु०विभाग, मुख्यालय लखनऊ	9454456447
26	श्री राकेश कुमार मिश्रा	संयुक्त निदेशक अप०अनु०विभाग, खण्ड गोरखपुर	9411238498
27	श्रीमती कविता रानी सिंह	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अप०अनु०विभाग, मुख्यालय लखनऊ	821826438

28	श्रीमती शालू वर्मा	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अप0अनु0विभाग, मुख्यालय लखनऊ	9454456642
29	श्री राजेन्द्र कुमार वरुण	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अप0अनु0विभाग, मुख्यालय लखनऊ	6397118587
30	श्री श्रीराम यादव	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अप0अनु0विभाग, मुख्यालय लखनऊ	9454962109
31	श्री मनोज कुमार	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अप0अनु0विभाग, खण्ड मेरठ	9454456326
32	श्री शिव श्याम	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अप0अनु0विभाग, खण्ड प्रयागराज	9454456257
33	श्री जय हिन्द	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अप0अनु0विभाग, खण्ड-कानपुर	9454456841
34	श्री हैदर अली	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अप0अनु0विभाग, खण्ड-आगरा	9454456793
35	श्री अमर नाथ तिवारी	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अप0अनु0विभाग, खण्ड-बरेली	9458692214
36	गंगा शरण	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अप0अनु0विभाग, खण्ड-वाराणसी	9756459482
37	श्री धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय	अभियोजन अधिकारी अप0अनु0विभाग, खण्ड प्रयागराज	9455191164

संलग्नक- 'सी'

क्र०सं०	पदनाम	उपलब्धता	वेतनमान
1	पुलिस महानिदेशक	01	लेवल-15
2	अपर पुलिस महानिदेशक	01	लेवल-15
3	पुलिस महानिरीक्षक	01	लेवल-14
4	पुलिस उपमहानिरीक्षक	01	लेवल-13ए
5	पुलिस अधीक्षक	03	लेवल-13ए-(01) लेवल-13-(02)
6	अपर पुलिस अधीक्षक	09	लेवल-13-(03) लेवल-12-(06)
7	पुलिस उपाधीक्षक	09	लेवल-11-(02) लेवल-10-(05) लेवल-9-(02)
8	अपर निदेशक अभियोजन	शून्य	लेवल-13
9	संयुक्त निदेशक अभियोजन	02	लेवल-12
10	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी	10	लेवल-11
	अभियोजन अधिकारी	01	लेवल-11
12	निरीक्षक	77	लेवल-7
13	उप निरीक्षक	28	लेवल-6
14	मुख्य आरक्षी	258	लेवल-4
15	आरक्षी	43	लेवल-3
16	चतुर्थ श्रेणी	65	लेवल-1-(02) लेवल-2-(05) लेवल-4-(34) लेवल-5-(24)
17	निरीक्षक गोपनीय	15	लेवल-10-(01) लेवल-9-(03) लेवल-8-(05) लेवल-7-(06)
18	उप निरीक्षक गोपनीय	05	लेवल-7-(04) लेवल-6-(01)
19	निरीक्षक लिपिक/लेखा	02	लेवल-8-(02)
20	उप निरी० लिपिक/लेखा	12	लेवल-8-(04) लेवल-7-(08)
21	पुलिस सहायक उप निरी० लिपिक/लेखा	31	लेवल-8-(01) लेवल-7-(03) लेवल-6-(01) लेवल-5-(26)
22	मुनीम	01	लेवल-6-(01)
23	उप निरी० मोटर परिवहन	01	लेवल-6
24	मुख्य आरक्षी चालक	17	लेवल-6
25	आरक्षी चालक	03	लेवल-4
	योग :-	596	

Organizational Structure

